

-// ज्ञापन// -

क्रमांक/638/अ.भू.अ./रा.नि./व.अ.प./2022
प्रति,

महासमुन्द दिनांक 16/03/2022

✓ वनमंडलाधिकारी(सा.)
जिला - महासमुन्द

विषय :- नारंगी वनखण्ड चिखली "बी" के कक्ष क्रमांक 0A 649 रकबा 5.534 हे. का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय करने बाबत।
संदर्भ :- 1/आपका पत्र क्रमांक मा.चि./6723 दिनांक 06.12.2021.
2/अनुविभागीय अधिकारी(रा.) बागबाहरा का पत्र क्रमांक 642/वाचक-02/अ.वि.अ.(रा.) /2022 दिनांक 22.01.2021.

---0---

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करे। संदर्भित पत्रानुसार आपके द्वारा नारंगी वनखण्ड चिखली "बी" के कक्ष क्रमांक 0A 649 रकबा 5.534 हे. का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय करने हेतु लेख किया गया है। अतएव संदर्भित पत्र के परिपेक्ष्य में कार्यवाही प्रारंभ की गई वाद भूमि को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु मांग किया है। तत्संबंध में अनुविभागीय अधिकारी(रा.) बागबाहरा का अभिमत प्राप्त हुआ कि ADB परियोजना के वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वाद भूमि की मांग की गई है। वर्तमान में कोई अप्राधिकृत कब्जा नहीं है। वन विभाग द्वारा सी.पी.टी. बनाकर सुरक्षित रखा हुआ है। वाद भूमि पर सेन्हा का छोटा-छोटा पेड़ लगा हुआ है। वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय किया जाता है।

निम्नांकित शर्तों के अनुसार वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु जमीन वन विभाग को प्रदाय की जाती है :-

- 1/नारंगी वनखण्ड चिखली "बी" के कक्ष क्र. 0A 649 रकबा 5.534 हे. भूमि पर वृक्षारोपण किया जावे।
- 2/बिना सक्षम प्राधिकारी के अनुमति से अन्य कोई निर्माण न किया जावे।
- 3/वृक्षारोपण के अलावा अन्य कार्य वाद भूमि पर प्रस्तावित नहीं किया जावे।

उपरोक्त शर्तों के अधीन वन विभाग को ग्राम चिखली की भूमि ख.न. 54 रकबा 5.48 हे. को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रदाय किया जाता है।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)


डिप्टी कलेक्टर

वास्ते कलेक्टर महासमुन्द

महासमुन्द दिनांक 16/03/2022

पृ क्रमांक/638/कले0/रा0नि0/व0अ0प./2022
प्रतिलिपि -

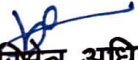
- 1/अनुविभागीय अधिकारी(रा.) बागबाहरा की ओर सूचनार्थ।
- 2/तहसीलदार बागबाहरा की ओर सूचनार्थ।


डिप्टी कलेक्टर

स्थल सत्यापन प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कैम्पा मद से वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु नारंगी क्षेत्र चिखली "ब" कक्ष क्रमांक 469 कक्ष का रकबा 14.270 हेक्टेयर में से 5.534 हेक्टेयर क्षेत्र का चयन किया गया है। चयनित क्षेत्र में मिश्रित वृक्षारोपण कार्य कराया जा सकता है। इसके पूर्व 5 वर्षों में चयनित क्षेत्र में किसी प्रकार के वानिकी कार्य नहीं कराया गया है। स्थल निरीक्षण पश्चात प्राक्कलन तैयार किया गया।


उप वनमंडलाधिकारी
महासमुंद


वन परिक्षेत्र अधिकारी
बागबाहरा


वन मंडलाधिकारी
सामान्य वन मंडल, महासमुंद